इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2024—आषाढ़ 11, शक 1946

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024

क्र. 9713—मप्रविस—16—विधान—2024.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम—64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 2 जुलाई 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०२४ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में शब्द "या प्रिंट मीडिया" का लोप किया जाए. **धारा ३ का संशोधन.**

* * * *

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा १२६ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के उपबंध में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी किसी बात को चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष संप्रदर्शित नहीं करेगा. इन उपबंधों में प्रिंट मीडिया सम्मिलित नहीं है. तदनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के अनुरूप करने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक ४३ सन् १९६४) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १ जुलाई, २०२४.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.